

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला पल्लाम सं० दिविधराम स० 01 सन 2022-23

केस का प्रकार विविधताप (गलत तरीके से हीलिंग खोले के संबंध में)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

06/07/22

आवेदनक संतोष कुमार राम ग्राम - गरपु के द्वारा कार्यालय में दिने गत्रे आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिक्रिया की मांग करें। अत्रिलेख 27/07/22 को रखें।

(Signature)
 अंचल अधिकारी
 तरहसी

P-126
 05/9/2022

27/07/22

अत्रिलेख उपरुद्धाहित। राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन किया इसके विफल होता है कि लोचन मौची के चार पुत्र हैं जिनका नाम ① धनपत मौची ② निर्गुण मौची ③ रामदेव मौची ④ देवकी मौची है जिसमें धनपत मौची को छोड़कर इनके तीन पुत्र भास में हिस्सा का बँटवारा कर लिये एवं हीलिंग खोला गया है। इससे संबंधित प्रतिक्रिया निम्नपत्र है -

शपतिदान के अनुसार -

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम
गरपु	22	6	0.24	बनारस लगान
		22	0.30	पाने पाले - फेड़
		38	1.24	भुरिया कौरह
		69	1.34	खैबर सं० 4
		82	0.72	I
		95	0.16	
		99	0.41	
		112	3.59	
		125	0.73	
		135	1.00	
			0.40	
			10.19	

पंजी II के अनुसार -

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम
गरपु	17, 20, 22	X	5.24	रामजलन मौची
वेज सं०	27, 29, 30			महेन्द्र मौची
	33			रामसुख मौची
				की निर्गुण मौची

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई को बारे में टिप्पणी तारीख सहित
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------

1 2 3


ग्राम खाता प्लॉट रकबा पैज सं०
 गरपुर 17, 20, 22 X 6.85 $\frac{1}{4}$ 121
 27, 28, 30
 33

रैजत का नाम
 रामदेव मौची
 पिता लोचन मौची

ग्राम खाता प्लॉट रकबा पैज सं०
 गरपुर 17, 20, 22 X 6.79 $\frac{3}{4}$ 122
 27, 28, 30
 33


रैजत का नाम
 देवकी मौची
 पिता लोचन मौची

मांग पंजी II के अनुसार संबंधित पत्तों का डिमांड चल रहा है। अतः अधीनस्थान्तरी के द्वारा डिमांड चलने से संबंधित कागजात की मांग हेतु मौलिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18.08.22 को रखें।


 अंचल अधिकारी
 तरहसी

18.08.22

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित पत्र उपस्थित हुए। डिमांड चलने से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया। इनके द्वारा दिखना वतपत्र से संबंधित भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। हीडिंग बंद करना अधीनस्थान्तरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्तर्गत आवेदन को अस्वीकृत करत हुए अभिलेख की कारवाई प्रण की जाती है।


 अंचल अधिकारी
 तरहसी